

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1965/2014.....जिला.....जोधपुर.....

उंनवान-मैसर्स ललित कुमार चांडक एण्ड कम्पनी, मण्डोर मण्डी, जोधपुर बनाम् वा.क.अ., वृत्त-डी, जोधपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.12.2014	<p><b>खण्डपीठ</b>  <b>श्री मदन लाल, सदस्य</b>  <b>श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य</b></p>	
	<p>अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक <u>14.10.2014</u>, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिसमें वा.क. अ.वृत्त-डी, जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24,25 व 55 सपठित नियम 48 के तहत निर्धारण वर्ष <u>2011-12</u> के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक <u>29.03.2014</u> के जरिये वसूली योग्य कायम की गयी राशि के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान रु.1,60,000/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक व विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा बहस हेतु दिनांक 12.12.2014 को उपस्थित हुये।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स पारले प्रोडक्ट प्रा.लि. व मैसर्स पारले बिस्कुट्स प्रा.लि., निमराना से माल क्रय कर आगे "विक्रय" करने के कारण विक्रय आवली (Series of Sale) में वह (अपीलार्थी व्यवहारी) द्वितीय व्यवहारी है। अग्रिम अभिवाक् किया कि <u>माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के द्वारा पारित मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा.लि. अजमेर के अपील क्रमांक 431/2012/अजमेर निर्णय दिनांक 07.03.2013 के प्रकाश में प्रथम विक्रेता व्यवहारी मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा.लि., द्वारा माननीय खण्डपीठ के निर्णय के अनुक्रम में उक्त अवधि में निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा.लि. के विरुद्ध कायम की गयी मांग राशियां राजकोष में अण्डर प्रोटेस्ट जमा करवायी जा चुकी हैं एवम् माननीय कर बोर्ड के उक्त निर्णय दिनांक 07.03.2013 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त विवादित बिन्दु पर अपील दायर की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में, मैसर्स मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा.लि. अजमेर से क्रीत माल के समस्त विक्रय मूल्य पर पुनः अपीलार्थी व्यवहारी पर करारोपण करना विधिसम्मत एवम्</u></p>	

अपील संख्या- 1965/2014/जोधपुर *सहित क्रमांक - 070*

16.12.2014

उचित नहीं है क्योंकि प्रथम विक्रेता पर विक्रय कीमत, जो अपीलार्थी व्यवहारी की क्रय कीमत है, पर कर वसूल हो चुका है। अग्रिम कथन किया कि समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1703 व 1704/2013/बाड़मेर के संबंध में स्थगन निर्णय दिनांक 24.09.2013 पारित कर, रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है। अतः प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, रु.1,60,000/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली योग्य मांग राशियों पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1703 व 1704/2013/बाड़मेर के संबंध में पारित स्थगन निर्णय दिनांक 24.09.2013 के अवलोकन के पश्चात् रु.1,60,000/- की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

*16.12.14*  
( आशा कुमारी )  
सदस्य

*16.12.14*  
(मदन लाल)  
सदस्य